

6

**Office of the District Judge, Basti.**

**Administrative Order No. 133/2023 Dated: Basti 04 April, 2023**

**Order**

Due to transfer of Sri Mukesh Kumar Singh-I, Additional District & Sessions Judge, Court No. 2 Basti (Chairman) & Some other member of the committee from this judgeship to another judgeship. It is necessary to reconstitute the committee to the extension of term/new appointment of the advocate mediators in District Court as per the provisions laid down in "The Uttar Pradesh Civil Procedure (District Courts) Mediation Rules, 2021".


Hence, The following committee is reconstituted with immediate effect to consider the matter of extension of term/new appointment of the advocate mediators in District Court as per the provisions laid down in "The Uttar Pradesh Civil Procedure (District Courts) Mediation Rules, 2021".

Sl. No.	Designation of the officers	
1	Additional District & Session Judge, Court No. 1 Basti	Chairman
2	Secretary, D.L.S.A. Basti	Member
3	Ist Additional Chief Judicial Magistrate, Court No.-9, Basti.	Member
4	Judicial Magistrate - IInd, Court No.-13, Basti.	Member

The committee constituted above is directed that they will complete the entire process regarding extension of term/new appointment of the advocate mediators in District Court as per rules under the provisions laid down in "The Uttar Pradesh Civil Procedure (District Courts) Mediation Rules, 2021" and will send its report to the undersigned.

This order be send to all the concerned for information and necessary compliance of the direction issued vide letter no. 02/Mediation/Subordinate Court/Allahabad 2022 Dated: 04.02.2022 of the Hon'ble High Court.

This order be also uploaded on local website of Basti Judgeship.

  
(Kuldeep Saxena)  
District Judge, Basti  
District Judge  
Basti

03-04-2023

प्रेषक,

रजनीश कुमार मिश्र  
अपर जिला जज/सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
बस्ती।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
बस्ती।

पत्रांक:- 308 /जि०वि०से०प्रा०, बस्ती दिनांक अप्रैल 03 /2022

विषय:- मध्यस्थता केन्द्र में अधिवक्ता मध्यस्थ की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ 618/एसएलएसए-66/2019 दिनांकित 02 मार्च 2023 का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त पत्र के द्वारा उ०प्र०सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्था नियमावली 2021 के प्रावधानों के अनुसार अधिवक्ता मध्यस्थ की नियुक्ति/पद विस्तार/नवीनीकरण हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि पूर्व में अधिवक्ता मध्यस्थ की नियुक्ति/सेवा विस्तार हेतु समिति का गठन, तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश, बस्ती महोदय द्वारा किया गया था, तत्पश्चात मध्यस्थता केन्द्र में कार्यरत् 05 मध्यस्थों (वर्तमान में 04 कार्यरत् है, मध्यस्थ श्री कौशल किशोर श्रीवास्तव का चयन चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पद होने के कारण वर्तमान में कार्यरत् नहीं है) का कार्यकाल माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा 30.07.2023 तक विस्तारित किया गया था तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर अधिवक्ता मध्यस्थों की नियुक्ति के सम्बन्ध में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे परन्तु समिति के कई सदस्यों का स्थानान्तरण, गैर जनपद होने के कारण अधिवक्ता मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया की कार्यवाही अग्रेतर नहीं हो सकी।

श्रीमान जी उपरोक्त पत्र के आलोक में सादर अवगत कराना है कि वर्तमान में मध्यस्थता केन्द्र में कुल चार अधिवक्ता मध्यस्थ कार्यरत् है, तथा मध्यस्था केन्द्र में 10 अधिवक्ता मध्यस्था नियुक्त करने का प्रावधान है जिसमें से कम से कम 03 महिला मध्यस्थ होनी चाहिए। वर्तमान में कोई भी महिला मध्यस्था नहीं है।

अतः सादर अनुरोध है कि राज्य प्राधिकरण, के उपरोक्त पत्र के अनुपालन में अधिवक्ता मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय  
3/04/23  
(रजनीश कुमार मिश्र)  
अपर जिला जज/सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
बस्ती।